इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2013—फाल्गुन 2, शक 1934

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्र. एफ-1-08-2010-साठ.—मंत्रि-परिषद् की दिनांक 12 फरवरी 2013 को सम्पन्न बैठक में मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना के क्रियान्वन हेतु नीति, 2011 में संशोधन अनुमोदित किया गया है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट (घ)

विषय.—मध्यप्रदेश में बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति-2011 में संशोधन.

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ''बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति-2011'' घोषित की है. जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)क्रमांक 460, दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को किया गया है.

प्रदेश में उपलब्ध क्षमता के त्वरित दोहन हेतु ''बायोमास आधारित विद्युत् (पावर) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नीति-2011'' में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

संशोधन 1 कण्डिका-2, पंजीकरण के लिए मानदंड के अन्तर्गत कण्डिका क्रमांक 2.1, 2.2, 2.3 एवं कण्डिका 3 पंजीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कण्डिका 3.3 एवं 3.4 को विलोपित कर निम्न प्रावधान को नीति में प्रतिस्थापित किया जाता है:—

परियोजना आवंटक प्रक्रिया.—''पंजीकृत परियोजना के स्थलों से 25 किलोमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल को सुरक्षित रखते हुए, अन्य स्थलों पर परियोजना का आवंटन विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित कर किया जावेगा. परियोजनाओं का आवंटन विकासक द्वारा शासन को दी जाने वाली प्रति मेगावाट अधिकतम नि:शुल्क ऊर्जा बोली के आधार पर किया जावेगा.''

संशोधन 2 कण्डिका 2.7 में, संशोधन एवं कण्डिका 11.4 को समाहित करते हुए संशोधित कण्डिका 2.7 नीति में प्रतिस्थापित की जाती है:—

''विकासकर्ता उत्पादित विद्युत् को राज्य के अंदर केप्टिव उपयोग हेतु/राज्य के अंदर ही तृतीयपक्ष उपभोक्ता को अथवा राज्य के स्वामित्व के विद्युत् कंपनी को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होगा. तृतीय पक्ष को विक्रय की पात्रता, विद्युत् अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों/विनियमनों के अनुसार होगी. विकासक उत्पादित विद्युत् का विक्रय आर.ई.सी. प्रक्रिया के अन्तर्गत भी कर सकेगा. शासकीय भूमि पर स्थापित की जाने वाली परियोजना से उत्पादित विद्युत् के क्रय का प्रथम अधिकार राज्य के स्वामित्व की विद्युत् कंपनी का होगा.''

संशोधन 3 कण्डिका 3.1 को विस्तारित करते हुए संशोधित कंडिका 3.1 को नीति में प्रतिस्थापित किया जाता है, एवं तत्संबंधित कण्डिका 12.4 विलोपित की जाती है:—

संशोधित कण्डिका 3.1

3.1.1 ऊर्जा नीति-2006 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अनुमोदित परियोजनाएं, इस नीति में प्रत्यार्पित की जावेंगी.

3.1.2 ऊर्जा नीति-2006 के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के विकासकों को प्रत्यापर्ण की तिथि से 12 माह में परियोजना क्रियान्वित करना होगा. अन्य पंजीकृत परियोजना के विकासकों को 3 माह के अंदर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं प्रत्यार्पण तिथि से 18 माह के अंदर परियोजना क्रियान्वित करनी होगी.

3.1.3 प्रत्यार्पित परियोजनाओं को नीति की कण्डिका 4.3 के अनुसार निष्पादन गारंटी जमा करनी होगी.

संशोधन 4 कण्डिका 3.2 में लंबित आवेदनों के संबंध में प्रावधान संशोधित कर संशोधित कण्डिका 3.2 नीति में प्रतिस्थापित की जाती है:—

संशोधित कण्डिका 3.2.—बायोमास परियोजना आवंटन हेतु लंबित आवेदनों के विकासकों को विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रण प्रक्रिया में भागीदारी के साथ निराकृत किया जावेगा. इन विकासकों को आवेदन आमंत्रण प्रक्रिया के दौरान यथासंभव सूचना दी जावेगी.

संशोधन 5 कण्डिका 4.3 परफारमेन्स गारंटी प्रावधान को प्रस्तावित परियोजना आवंटन प्रक्रिया के अनुसार संशोधित कर, संशोधित कण्डिका 4.3 नीति में प्रतिस्थापित की जाती है.

संशोधित कण्डिका 4.3 परफारमेन्स गारंटी.— परियोजना स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने हेतु विकासक को परियोजना लागत की 1 प्रतिशत राशि परफारमेन्स गारंटी जमा करनी होगी. परफारमेन्स गारंटी दो चरणों में जमा की जावेगी. विकासक को प्रथम चरण में परियोजना आवंटन से एक माह के अंदर 1 लाख प्रतिमेगावाट की दर से एवं द्वितीय चरण में परियोजना प्रतिवेदन के साथ शेष परफारमेन्स गारंटी राशि जमा करनी होगी. परफारमेन्स बैंक गारंटी 30 मास की अवधि के विद्यमान्य होगी.

(एक) विकासकर्ता को परियोजना की उपलब्धियों तथा निर्धारित समय सीमाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात् नीति की कण्डिका क्रमांक 6.1 के अनुसार अलग-अलग चरणों में बैंक गारंटी विमुक्त की जाएगी.

(दो) विकासकर्ता द्वारा निर्धारित समयबद्ध गतिविधियों के अनुसार प्रगति को प्राप्त करने में असफल होने की दशा में यदि इस नीति के कण्डिका क्रमांक 7 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना निरस्त कर दी जाती है, तो निरस्तीकरण के समय शेष बची परफारमेन्स गारंटी राजसात कर ली जायेगी और शास्ति के बतौर भुना लिया जाएगा. इस प्रकार निरस्त की गई परियोजना के लिये नये विकासकर्ता का चयन प्रस्तावित परियोजना आवंटन प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा.

संशोधन 6 कण्डिका 11.7.5 के विस्तारित करते हुए, संशोधित कण्डिका 11.7.5 प्रतिस्थापित की जाती है:—

संशोधित कण्डिका 11.7.5.— ''राजस्व विभाग द्वारा गैर वन पड़त भूमि को, बायोमास उत्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु, गैर वन पड़त भूमि आवंटन की राज्य शासन की, नीति के प्रावधानानुसार उपलब्धता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी. भूमि उपयोग अनुमति निम्न मानकों के अन्तर्गत दी जा सकेगी:—

1. परियोजनाओं हेतु अधिकतम भूमि क्षेत्रफल 100 एकड़ प्रति मेगावाट होगा एवं अधिकतम 5 मेगावाट क्षमता हेतु भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी.

2. यदि विकासक नीति की ''कण्डिका-2.5'' के प्रावधान के अनुसार 15 प्रतिशत पारम्परिक ईंधन का उपयोग नहीं करता है व परियोजना पूर्ण रूप से बायोमास ईंधन पर आधारित होती है, तो बायोमास उत्पादन हेतु 50 एकड़ प्रति मेगावाट अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी.

3. इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत् के क्रय का प्रथम अधिकार राज्य की विद्युत् कंपनी का होगा.

एस. आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.